संख्या -पी-180/14-2-2016-800(203)/2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

ASO
CCF/Nodal
20/01/17

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 19 जनवरी, 2017

विषय- जनपद बाराबंकी में निर्माणाधीन 220 के0वी0 कुर्सी रोड-पी0जी0आई0सी0एल0 लाइन लखनऊ पारेषण लाइन के टावर लोकेशन संख्या-23 (बी+0) से (बी+5) के मध्य वन विभाग की भूमि के ऊपर कन्डक्टर की स्पिंग करने हेतु प्रभावित 0.581 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1082/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/ 19337/ 2016, दिनांक 21-11-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत परियोजना में आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत परियोजना में आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावक उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कार्पो0 लि0 का प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के लीज रेण्ट के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।

अतः विषयगत प्रकरण में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के लीज रेन्ट भुगतान की वचनबद्धता प्रस्तावक से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

B Singh
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक: 1547/11-C-FP/UP/Trans/19337/2016, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 25 2017.
प्रतिलिपि: - निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा वांछित विषयगत प्रकरण में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के लीज रेन्ट भुगतान की वचनबद्धता दो प्रतियों में तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2- प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, बाराबंकी।
3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, द्वितीय, एस-348, शक्तिनगर, इंदिरानगर ए-ब्लाक, लखनऊ।

25/1/17
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन्य उ0प्र0, लखनऊ

O/C